पंचायत निगरानी संख्या : 357 / 2024
उनवान : पुष्पा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,बाली जिला पाली राज.

पीठासीन अधिकारी : शैलेन्द्र सिंह आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 357 / 2024
जी.सी.एम.एस. नम्बर : 2024 / 217

प्रार्थी :–

पुष्पा पत्नी बाबुलाल जाति वादी
निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी
जिला पाली राज.

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
2. रावत राजपूत समाज समस्त मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज. के प्रतिनिधिः–
   2.1 डूंगरसिंह पुत्र हिम्मतसिंह जाति रावत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
   2.2 मनोहरसिंह पुत्र मगसिंह जाति रावत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.
   2.3 मोतीसिंह पुत्र मगसिंह जाति रावत निवासी मगरतलाव तहसील देसूरी जिला पाली राज.

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम के तहत बनाराजगी ग्राम पंचायत मगरतलाव के आदेश दिनांक 25.11.2004 पट्टा संख्या 12 मिसल संख्या 104 / 2004–05 संकल्प (प्रस्ताव) संख्या 02 दिनांक 07.10.2004 निरस्त करवाने बाबत्।

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी संख्या की ओर से अधिवक्ता श्री दिव्य प्रकाश त्रिवेदी।
2. अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से अधिवक्ता श्री दिनेश चन्द्र माथुर।
3. अप्रार्थी संख्या 2.1, 2.2 व 2.3 की ओर से अधिवक्ता श्री नारायणसिंह जोशी।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर बाली (पाली)

–:निर्णयः–

दिनांकः 13.01.2026

प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने पंचायत निगरानी याचिका अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम,1994 के तहत ग्राम पंचायत मगरतलाव के आदेश दिनांक 25.11.2004 पट्टा संख्या 12 मिसल संख्या 104 / 2004–05 संकल्प (प्रस्ताव) संख्या 02 दिनांक 07.10.2004 निरस्त करवाने बाबत् पेश की गई। निगरानी याचिका दर्ज रजिस्टर की जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया।

निगरानी याचिका के तथ्य इस प्रकार है किः–

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली, जिला पाली

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 357 / 2024
उनवान : पुष्पा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. प्रार्थीनी का पट्टाशुदा प्लोट ग्राम मगरतलाव की आबादी भूमि में आया हुआ स्थित है जिसके वर्तमान पड़ौस व नाप इस प्रकार है:–

पूर्व:– पडत भूमि

पश्चिम :– डूंगरसिंह पुत्र दलपतसिंह रावत का बाडा

उत्तर में:– पड़त भूमि

दक्षिण में:– आम रास्ता व दरवाजा

नाप 30 फीट चौड़ाई X 45 फीट लम्बाई = 1350 वर्गफीट

उक्त पट्टा नम्बर 28 वर्ष 1996–97 का ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा वादीनी को अनुसूचित जाति की होने के तहत निशुल्क पट्टा जारी किया गया है।

2. यह है कि प्रार्थीनी उक्त प्लोट का उपयोग उपभोग करीब 50 वर्षों से वाडे के रुप में जलाऊ लकड़ियों व पशुओं के रहवास व निवास के रुप में उपयोग उपभोग करती आ रही है व उस पर पुराना केलुपोस का मकान बनाकर निवास भी करती थी जिस पर सन् 1996–97 में ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा सरकारी योजना के तहत प्रार्थीनी को अनुसूचित जाति की महिला होने से उसके शांतिपूर्ण लगातार कब्जे के आधार पर उक्त प्लोट का पट्टा जारी किया गया।
3. यह है कि उक्त पट्टा जारी होने के पश्चात प्रार्थीनी द्वारा बनाया गया केलुपोश का मकान पुराना जीर्ण शीर्ण होने से गिर गया व उसके बाल बच्चे भी बडे होने से पक्के घर की जरुरत होने से उक्त प्लोट पर प्रार्थीनी व उसके परिवार वालो ने करीब दस साल पहले पचास टोली पत्थरों से नीवे भरवाई व करीब पचपन टोली पत्थरो से उक्त नीवों से भर्ती करवा कर नीवे छोड दी। उसके पश्चात अगस्त सन् 2023 मे मकान का निर्माण कार्य शुरु करवाया तब दिनांक 11.08.2023 को अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीनी को नोटिस दिया कि वादग्रस्त प्लोट कर निर्माण कार्य रोक देवे चूंकि उक्त वादग्रस्त प्लोट की भूमि पर रावत समाज का पट्टा बना हुआ। जिस पर प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी पंचायत को दिनांक 16.08.2023 को अपने अधिवक्ता के मार्फत नोटीस रजिस्टर्ड पोस्ट से प्रेषित किया जिसका कोई जवाब अप्रार्थी द्वारा आज दिन तक नहीं दिया गया व उसके पश्चात एक निषेधाज्ञा बाबत वाद भी सक्षम सिविल न्यायालय देसूरी में प्रस्तुत किया गया।
4. यह कि जबकि प्रार्थीनी को वादग्रस्त प्लोट का पट्टा सन 1996–1997 में जारी किया हुआ व उससे पूर्व से आधिपत्य प्रार्थीनी का चला आ रहा था व पट्टा जारी होने के पश्चात प्रार्थीनी द्वारा पट्टाशुदा प्लोट पर नीवे भरी व निर्माण कार्य किया गया लेकिन बाले बाले दिनांक 25.11.2004 को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा पट्टा रावत समाज को पंचायत राज नियम 167 (1) के तहत मात्र 200 / – अक्षरे दो सौ रुपये में 29536 अक्षरे उनतीस हजार पांच सौ छत्तीस वर्गफीट का पट्टा जारी कर दिया वो भी बिना किसी निर्माण के। मौके पर न तो किसी प्रकार का निर्माण है न ही किसी प्रकार का आधिपत्य है तथा न ही पंचायत को इतने वर्गफीट का पट्टा जारी करने का मात्र दो सो रुपये में अधिकार है, इस प्रकार उक्त पट्टा पंचायत अधिनियम के अनुसार विधिक प्रक्रिया अपनाये बिना जारी किया गया है। इसलिए उक्त पट्टा एब इनिशियो वॉइड है। जिससे कोई अधिकार रावत समाज यानि अप्रार्थी संख्या 02 को प्राप्त नहीं होते है।न ही अप्रार्थीगण को उक्त शून्य पट्टे के आधार पर कोई अधिकार प्राप्त होते है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 357/2024
उनवान : पुष्पा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

5. यह है कि प्रार्थीनी के पट्टे के उपर पट्टा जारी करवा दिया तथा जो पट्टा अप्रार्थी संख्या 01 ने समाज के नाम से जारी किया वो प्रथमदृष्टया देखने मात्र से ही मिथ्या व पंचायत नियमों के विपरित होने से निरस्त योग्य है।

उक्त निगरानी प्रार्थीनी की ओर से निम्न बिन्दुओं पर प्रस्तुत है:–

1. यह कि उक्त जैर निगरानी पट्टा प्रथम दृष्टया ही फर्जी व मिथ्या होने से कानूनी रुप से उसका कोई अस्तित्व नहीं होने से उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है। चूंकि उक्त पट्टा शुदा सम्पति प्रार्थीनी को पूर्व में पट्टा अनुसूचित जाति की होने के तहत निशुल्क पट्टे आवंटन किया गया था जो वर्ष 1996–97 में सरकारी योजना के तहत पट्टा संख्या 28 जारी किया गया था जिस पर स्वामित्व व आधिपत्य तब से व उक्त पट्टा जारी होने के पूर्व में आधिपत्य प्रार्थीनी का लगातार शांतिपूर्ण तरीके से चला आ रहा था। यह कि उक्त प्लोट का पट्टा प्रार्थीनी के नाम से जारी किया हुआ है जिसे बखूबी जानकारी अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत को थी उसके बावजुद उक्त पट्टे के ऊपर पट्टा अवैध तरीके से अप्रार्थी संख्या 02 को मिलीभगत कर समाज के नाम से पट्टा जारी कर दिया जो पट्टे के ऊपर पट्टा जारी कर दिया इसलिए पट्टा निरस्त योग्य है।
2. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने बाले बाले अप्रार्थी संख्या 02 व उनके सदस्यो से मिलीभगत कर बाले बाले पट्टा जारी कर दिया है जबकि ग्राम मगरतलाव के किसी भी व्यक्ति को उक्त पट्टे की कार्यवाही की जानकारी नही है न ही किसी के द्वारा मौका देखा गया न ही निरीक्षण किया गया व नक्शा आदि बनाया गया है। न ही आपत्ति सूचना का ईश्तिहार आदि जारी किया गया तथा यदि उक्त सारी कार्यवाहियां की भी गई होगी तो वे केवल ग्राम पंचायत में बैठकर कागजी कार्यवाही की गई होगी जो किसी भी प्रकार मानने योग्य नहीं है। इसलिए उक्त पट्टा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये नियमों के विरुद्ध पारित किया है जो निरस्त योग्य है।
3. यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के सदस्यों से मिलीभगत कर जो विवादित पट्टा जारी किया वो पंचायत नियम के 157(1) के तहत जारी किया है जबकि धारा 157 के तहत पट्टे पुराने गृहों के विनियमितिकरण के आधार पर जारी होते है यानि पुराने घरो के जारी होते है यानि कि पुश्तैनी सम्पति के पट्टे जारी किये जाते है। यह कि ग्राम पंचायत ने जो पट्टा समाज के नाम से जारी किया है वो पुराने घर बाबत् धारा 157 के तहत जारी किया है जबकि समाज का कोई पुराना घर नही होता न ही पुराना घर व निर्माण था। इस प्रकार धारा 157 के तहत उक्त पट्टा जारी ही नहीं किया जा सकता है, यह कि समाज का कभी पुराना निर्माण नहीं होता है न ही मौके पर किसी प्रकार का पुराना निर्माण है। इस प्रकार धारा 157 के तहत उक्त पट्टा जारी नही हो सकता है इसलिए उक्त पट्टा निरस्त योग्य है।
4. यह कि इस प्रकार उक्त विवादित पट्टा 200/– अक्षरे दो सो रुपये के बाजार मूल्य पर जारी होना पट्टे में बताया है जबकि बाजार मूल्य पर पट्टा बिना निलामी के जारी नहीं हो सकता है व उक्त विवादित पट्टा बाबत किसी प्रकार की कोई निलामी ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा नही लगाई है, न ही निलामी की प्रक्रिया का पालन किया किया गया न ही नीलामी बाबत इश्तिहार व लाउडस्पीकर से सूचना दी गई व न ही किसी के द्वारा बोली लगाई गई व न ही निलामी की रकम बाबत सम्पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गई है।
5. यह है कि उक्त पट्टा में भी नीलामी बाबत व रकम की सम्पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा की गई हो ऐसा कथन अभिलिखित नहीं है। जिससे स्पष्ट है कि कोई निलामी न लगाकर बाले बाले सारी कार्यवाही की गई है तथा एक तरफ उक्त पट्टा धारा 157(1) के तहत

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 357/2024
उनवान : पुष्पा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

जारी किया जा रहा है दूसरी तरफ उक्त पट्टा बाजार मूल्य 200/– अक्षरे दौ से रुपये बताकर जारी किया गया है जबकि 29536 अक्षरे उनतीस हजार पाँच सौ छत्तीस वर्गफीट का बाजार मूल्य केवल 200/– अक्षरे दौ सो रुपये नहीं हो सकता है। जिससे ही स्पष्ट है कि उक्त बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये जल्दबाजी में मिलीभगत कर जारी किया है तथा धारा 157 में पट्टा जारी करने की अलग प्रक्रिया है। व बाजार मुल्य पर पट्टा जारी करने की अलग प्रक्रिया है इस प्रकार उक्त पट्टा बाले बाले अवैध तरीके से जारी किया है इसलिए उक्त पट्टा निरस्त होने योग्य है।

6. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा पट्टा व्यक्ति विशेष को जारी किया जाता है समाज को पट्टा जारी नहीं किया जा सकता। जब तक समाज नियमानुसार वैध रुप से रजिस्टर्ड नही हो, उक्त समाज किसी भी प्रकार रजिस्टर्ड नही है न ही उक्त समाज की कोई कार्यकारिणी है न ही इस सम्बन्ध में कोई विवरण विवादित पट्टे में बताया है। इस आधार पर भी उक्त पट्टा निरस्त योग्य है।
7. यह है कि ग्राम पंचायत द्वारा किसी भी आदेश पारित करने से पूर्व नियमानुसार उसका प्रार्थना पत्र फीस के साथ जमा किया जाता है एवं उक्त प्रार्थना पत्र सरपंच के निर्देशानुसार सचिव द्वारा मिसल कायम कर उसको आगामी बैठक में रखा जाता है बैठक मे कोरम के सामने उक्त प्रार्थना पत्र के बारे में विचार विमर्श के साथ कोरम के द्वारा मनोनित हो वार्डपंच एवं सचिव के द्वारा मौका रिपोर्ट तैयार कर आगामी बैठक में रखा जाता है। तत्पश्चात उक्त स्थान का एक माह हेतु आपत्ति इश्तिहार ग्राम पंचायत के नोटीस बोर्ड पर एवं ग्राम के मुख्य सार्वजनिक नोटीस बोर्ड पर एवं जहां का मौका देखा है वहां चस्पा किया जाता है तथा उक्त नोटीस की म्याद खत्म होने के बाद फाईनल रुप से कोरम द्वारा सरपंच के हस्ताक्षर से आदेश जारी किया जाता है। उक्त आदेश जारी करने के बाद नियमानुसार आदेश का अनुमोदन सक्षम अधिकारी विकास अधिकारी से प्राप्त होने के पश्चात आवंटी से फीस प्राप्त कर पट्टा जारी किया जाता है तथा नीलामी हेतु लाउड स्पीकर पुरे ग्राम में घुमाकर सभी को सूचना देकर व पंचायत व पंचायत मुख्यालय या मौका स्थल पर बोली लगवाई जाती है व सबसे अधिक जो बोली लगाता है उसकी रकम जमा कराने पर उसे लागत मुल्य पर पट्टा जारी किया जाता है। लेकिन उक्त विवादित पट्टे बाबत किसी प्रकार की पंचायत विधि के प्रक्रिया का पालन नही किया है व पट्टे के उपर पट्टा जारी किया गया है। जैर निगरानी आदेश/पट्टे में इस प्रकार की कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई है जिस बाबत कोई दस्तावेज अप्रार्थीगण द्वारा माननीय सिविल न्यायालय में प्रस्तुत नही किया है न ही प्रार्थीनी द्वारा उक्त विवादित पट्टे की मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि मांगने पर ग्राम पंचायत ने दी है। यह है कि प्राथ्री ने सूचना के अधिकार के तहत भी पत्रावली मांगी है लेकिन प्रार्थी को कोई सूचना ग्राम पंचायत द्वारा नही दी है इससे ऐसा प्रतीत होता है कि अप्रार्थीगण ने मिलकर उक्त पट्टा बिना किसी कार्यवाही के फर्जी रुप से तैयार किया है जो पट्टा निरस्त योग्य है।

8. यह है कि प्रार्थीगण द्वारा जैर निगरानी पट्टा आदेश के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कई बार प्रार्थी ग्राम पंचायत मगरतलाव मे गया व प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। लेकिन वर्तमान सरपंच व ग्रुपसचिव ने प्रार्थीनी का प्रार्थना पत्र नहीं लिया व बार बार चक्कर कटवाते रहे। तब प्रार्थीनी ने सूचना अधिकार के तहत विवादित पट्टे व उसकी मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपि की मांग की लेकिन वर्तमान ग्रुप सचिव ने उक्त आदेश की पालना नहीं की व प्रार्थी को कोई सूचना नही दी गई जिससे ही स्पष्ट है कि उक्त विवादित पट्टा फर्जी तरीके से जारी किया गया है। जिस बाबत किसी प्रकार की कोई पत्रावली नही बनाई गई न ही नियमों की पालना कर पट्टा जारी किया है जिस आधार

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 357/2024
उनवान : पुष्पा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

पर भी उक्त पट्टा फर्जी स्पष्ट है। तथा तत्कालीन सरपंच व सचिव अप्रार्थीगण मिले हुए है।

9. यह है कि जैर निगरानी पट्टा फर्जी होने की जानकारी श्रीमान अपर जिला न्यायालय देसूरी में अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा पट्टे की फोटोकॉपी पेश करने पर हुई। उसके साथ मिसल प्रस्तुत नही की न ही उसकी फोटोप्रति पेश की जिस पर प्रार्थीनी द्वारा अप्रार्थी संख्या 01 के कार्यालय से प्रमाणित प्रतिलिपि मांगी लेकिन कोई प्रतिलिपि नही दी गई तथा न देने का कारण भी स्पष्ट नहीं किया है जिससे ही स्पष्ट होता है कि बिना कानूनी कार्यवाही के उक्त पट्टा जारी किया है। ऐसी स्थिति में उक्त फर्जी पट्टे को निरस्त करवाने बाबत् कोई अवधि बाधा नहीं है तथा प्रार्थीनी द्वारा विवादित पट्टे व उसकी मिसल की प्रमाणित प्रतिलिपिया सूचना अधिकार के तहत मांगने पर भी नही देने पर तथा प्रार्थीनी की और से उक्त रिवीजन प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में प्रमाणित प्रतिलिपिया के अभाव में निगरानी दर्ज किये जाने से किसी भी पक्षकार के साथ कोई अन्याय नही होगा।

10. यह है कि निगरानी आदेश एवं पट्टा विधि एवं नियमो के अनुसार जारी किया हुआ होना चाहिये जो निम्नानुसार है:–

(1) यह है कि नियम 136 के तहत पंचायत की विक्रय योग्य सम्पति को पृथक से रजिस्टर में अंकित करना होता है जबकि नियम 136 से 139 के तहत कोई कार्यवाही नही करते हुए विक्रय योग्य भूमि का निर्धारण नही किया गया है न ही कोई रिकॉर्ड बनाया है।

(2) नियम 142 के तहत आबादी विकास के लिये स्कीम बनाई जानी आवश्यक है इस प्रकरण में कोई स्कीम नही है।

(3) आबादी भूमि प्राप्ति हेतु नियम 145 के तहत आवेदन प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत होना आवश्यक है।

(4) यह कि उपनियम 145 (2) के तहत आवेदन के साथ 25/– अक्षरे पच्चीस रुपये का शुल्क में जमा होना आज्ञापक है।

(5) यह कि नियम 157 के तहत पुराने गृहों का पट्टा जारी किया जाता है लेकिन पुराने [illegible] व निर्माण बाबत कोई प्रथम दृष्टया सबूत नही है न ही समाज का कोई पुराना घर होना है न किसी प्रकार का पुराना निर्माण है।

(6)यह कि नियम 150 के तहत भूमि की निलामी बाबत प्रक्रिया नहीं अपनाई गई।

(7)यह कि नियम 151 के तहत नीलामी समिति नहीं बनाई गई है।

(8)यह कि नियम 154 के तहत विक्रय की पुष्टि सक्षम अधिकारी द्वारा नही की गई प्रकरण में न तो आवेदन है न ही कोई बाजार मुल्य का शुल्क जमा है नियमों के विरुद्ध पट्टा पट्टे के उपर पट्टा जारी करने से निरस्त योग्य है।

उपरोक्त समस्त परिस्थितियों में विक्रय के नियमों की कोई पालना नही की गई है ऐसे नियमों के बगैर जारी पट्टा संविधान के विपरित होगा। विभिन्न न्यायिक दृष्टान्तों में निर्धारित किया गया है प्रकरण की समस्त परिस्थितियों में नियमों एवं स्थापित प्रक्रिया के विपरित पारित आदेश एवं पट्टा बहाल रखे जाने योग्य नहीं होने से रद्ध होने योग्य है। अतः निगरानी याचिका प्रस्तुत कर निवेदन है कि निगरानी याचिका स्वीकार की जाकर आदेश दिनांक 25.11.2004 पट्टा संख्या 12 मिसल संख्या 104/2004–05 संकल्प (प्रस्ताव) संख्या 02 दिनांक 07.10.2004 ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा जारी पट्टा निगरानी रद्ध किया जावें।

काबिल अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2.1 लगाय 2.3 ने निगरानी याचिका में प्राथमिक आपत्ति पेश कर निवेदन किया कि:–

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली जिला-पाली

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 357/2024
उनवान : पुष्पा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज. अधिनियम, 1994

1. यह है कि प्रार्थीनी ने बिना किसी युक्ति युक्त आधार के प्रकरण में पक्षकार बनाया गया है तथा प्रार्थीनी के कथनानुसार विप्रार्थी संख्या 02 रावत समाज समस्त रावत समाज मगरतलाव को पक्षकार बनाया गया है जबकि विप्रार्थी 2.1 लगाय 2.3 समाज के पदाधिकारी नही है तथा विवादित सम्पति रावत समाज की सामूहिक है ऐसी स्थिति सम्पूर्ण रावत समाज पक्षकार है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीया ने विधिपूर्ण तरीके से निगरानी प्रस्तुत नहीं की है तथा न ही विधि की प्रक्रिया का प्रतिनिधिक वाद के लिये आवश्यक है अपना ही गया है तथा न ही न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने से पूर्व आवश्यक इजाजत ही प्राप्त की गई है। अतः प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी विधि द्वारा वर्जित होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह है कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा पारित आदेश दिनांक 25.11.2004 के विरुद्ध प्रस्तुत करना बताया है जिससे स्पष्ट है कि उक्त पट्टा जारी किये काफी अवधि व्यतीत हो चुकी है जिससे उक्त निगरानी अवधिपार होने से परिपोषणीय नही है।
3. यह है कि प्रार्थीनी ने अपने स्वामित्व के तथा व्यथित पट्टा क्रमांक 28 वर्ष 1996–97 को आधार बनाते हुए निगरानी प्रस्तुत की गई है जबकि पंचायत मगरतलाव एवं विकास अधिकारी देसूरी के मतानुसार ऐसा कोई पट्टा ही जारी नहीं किया गया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी द्वारा उल्लेखित किया गया तथा व्यथित पट्टा फर्जी है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी ने सदभाव पूर्वक निगरानी प्रस्तुत नही कर दुराग्रह के चलते प्रस्तुत की गयी है तथा इस आधार पर भी उक्त निगरानी प्रथम दृष्टया परिपोषणीय नहीं है।
4. यह है कि प्रार्थीनी ने श्रीमान अपर जिला न्यायाधीश देसूरी के न्यायालय में वाद पत्र प्रस्तुत कर अनूसूचित जाति का होने के आधार पर न्यायालय में ऐसा प्रकट किया कि उसके साथ अत्याचार हो रहा है तथा इस बिना पर प्रार्थीनी ने अन्तरिम आदेश के तहत यह आदेश प्राप्त कर लिया कि प्रार्थीनी को निर्माण को नही रोका जावे। तथा उक्त तथाकथित आदेश की आड में प्रार्थीनी ने केवल रावत समाज के सम्पति बल्कि अन्य बडे भू भाग पर अतिक्रमण कर दिया है जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीनी केवल मात्र अनुसूचित जाति की होने मात्र के आधार पर रावत समाज एवं उसके प्रतिनिधियों पर दबाव बनाने हेतु अपनी जाति का दुरुपयोग कर रही है।
5. यह है कि विप्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत किये, तथ्यो, परिस्थितियों एवं दस्तावेजात का अवलोकन करने से श्रीमान् संतुष्ट होगे कि प्रार्थीनी अनूसूचित जाति का होने का अनूचित फायदा उठाकर गरीब आदिवासी समाज की भूमि हडपने पर उत्तारु है। ऐसी स्थिति में स्पष्ट है कि प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत की गयी निगरानी दुर्भावनावश प्रस्तुत की गई है जो प्रथम दृष्टया परिपोषणीय नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विप्रार्थीगण 2.1 लगाय 2.3 का निवेदन है कि विप्रार्थीगण की प्राथमिक आपत्ति स्वीकार फरमाकर प्रार्थीनी द्वारा प्रस्तुत निगरानी व्यय सहित खारिज करने के आदेश प्रदान करावें।

ग्राम पंचायत से प्रकरण से संबंधित मूल पट्टा बुक तथा बैठक कार्यवाही रजिस्टर तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया तथा अन्य कोई कार्यवाही शेष नहीं होने से बहस सुनने का निश्चय किया गया।

काबिल अधिवक्ता प्रार्थीपक्ष ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया के पट्टाशुदा भूखण्ड पर ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा रावत समाज के पक्ष में पुनः आलोच्य पट्टा विलेख जारी कर अवैधानिक कार्यवाही प्रभाव में लाई गई। उक्त आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 25.11.

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

2004 निष्पादित करने से पूर्व राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 एवं नियम 1996 में उपबन्धित वैधानिक प्रक्रिया की पालना नहीं की गई है तथा पुराने गृहों के विनियमितिकरण के रुप में नियम 157 के अन्तर्गत मात्र दौ सो रुपये में आलोच्य पट्टा विलेख एक समाज विशेष के पक्ष में निष्पादित किया गया, जो कि Legal Entity भी नहीं है। यह भी, कि सिविल न्यायालय देसूरी में भी समान भूखण्ड के सम्बन्ध में उभयपक्षकारों के मध्य सिविलवाद विचाराधीन है, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण को ज़रिए अस्थायी निषेधाज्ञा पाबन्द किया गया है। काबिल अधिवक्ता याचीपक्ष ने बहस को समेकित करते हुए ग्राम पंचायत मगरतलाव द्वारा पारित संकल्प संख्या 02 दिनांक 07.10.2004 एवं पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 25.11.2004 को अपास्त करने का निवेदन किया तथा अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्त पेश किए:–

1. 2016(4) DNJ (Raj.) 1799
2. 730 2017(2) DNJ (Raj.)
3. 2017(2) DNJ (Raj.) 669
4. 2016(3) DNJ (Raj.) 1203

उपरोक्त तर्कों का खण्डन करते हुए काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या 2 (1) लगाय 2(3) ने वक्त बहस निवेदन किया कि प्रार्थीया द्वारा विवादित आराजी के सम्बन्ध में स्वयं का तथाकथित जिस पट्टा विलेख की फोटोप्रति प्रस्तुत की है, वो न तो साक्ष्य के रुप में ग्राह्य है और न ही ऐसा कोई पट्टा विलेख ग्राम पंचायत द्वारा प्रार्थीया के पक्ष में निष्पादित ही किया गया है। यह भी, कि निगरानीकर्ता द्वारा अप्रार्थीगण को बिना किसी ठोस आधार के रावत समाज के प्रतिनिधिगण के रुप में पक्षकार संयोजित किया गया है, जबकि आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 12 में अप्रार्थीगण का नाम भी अंकित नहीं है। यह भी, कि समान पक्षकारो के मध्य इसी विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में प्रार्थीया द्वारा सिविल न्यायालय देसूरी में भी समानान्तर वाद कार्यवाही प्रस्तुत की गई है, अतः हस्तगत निगरानी याचिका इस न्यायालय में संधारणीय नहीं होने से खारिज फरमाई जाए।

काबिल अधिवक्ता बज़तरफ रेस्पोडेण्ट संख्या एक वक्त बहस अनुपस्थित। अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई तथा पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों तथा ग्राम पंचायत द्वारा प्रेषित मूलअभिलेख का अध्ययन किया गया एवं प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों का ससम्मान अवलोकन किया गया।

हस्तगत पंचायत निगरानी याचिका के माध्यम से प्रार्थीया द्वारा जैर निगरानी आलोच्य पट्टा विलेख संख्या 12 दिनांक 25.11.2004 को प्रमुखतः इस आधार पर चुनौति दी है कि विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा पूर्व में प्रार्थीया के पक्ष में पट्टा संख्या 28 वर्ष 1996–97 निष्पादित किया गया था तथा पट्टाशुदा भूखण्ड का पुनः पट्टा विलेख जारी कर अवैधानिक कृत्य कारित किया गया है। यद्यपि प्रार्थीया द्वारा तथाकथित स्वयं के पक्ष में निष्पादित उक्त पट्टा विलेख संख्या 28 से संबंधित कोई प्रमाणित दस्तावेज इस न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है। अप्रमाणित फोटोप्रति न्यायालय में साक्ष्य के रुप में न तो ग्राह्य है और न ही अन्य सहायक प्रमाणित दस्तावेजों के अभाव में उक्त फोटोप्रति मात्र के आधार पर ऐसी कोई उपधारणा कायम ही की जा सकती है।

हस्तगत निगरानी याचिका का राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के उपबन्धान्तर्गत प्रस्तुत की गई है तथा उक्त धारा 97 के प्रावधानानुसार राज्य सरकार के अतिरिक्त

अतिरिक्त जिला कलेक्टर

P.T.O.

Scanned with OKEN Scanner

पंचायत निगरानी संख्या : 357/2024

उनवान : पुष्पा बनाम सरपंच ग्राम पंचायत मगरतलाव व अन्य अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज, अधिनियम, 1994

कोई अन्य 'हितबद्ध व्यक्ति' ही निगरानी याचिका प्रस्तुत कर सकता है। प्रार्थीया को जैर निगरानी विवादित भूखण्ड के सम्बन्ध में 'हितबद्ध व्यक्ति' के रुप में प्रस्थापित होने के लिए सिविल अधिकारों को सिद्ध करना होगा, जिस हेतु सिविल न्यायालय ही सक्षम न्यायालय है। यहाँ यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि स्वयं प्रार्थीया ने निगरानी याचिका में यह अंकित किया है कि उभयपक्षकारों के मध्य इस भूखण्ड के सम्बन्ध में सिविल न्यायालय देसूरी में भी वाद कार्यवाही विचाराधीन है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों के अनुसार माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश देसूरी में उक्त वाद प्रकरण संख्या 02/2024 बअनवान "पुष्पा बनाम डूंगरसिंह व अन्य" दिनांक 31.01.2024 को प्रस्तुत गया तथा उसके कुछ समय पश्चात् दिनांक 18.03.2024 को प्रार्थीया द्वारा इस न्यायालय में भी हस्तगत निगरानी के माध्यम से समानान्तर कार्यवाही प्रस्तावित की गई। **अर्थात् जब समान पक्षकारों के मध्य एवं समान विवादित आराजी के सम्बन्ध में पूर्व से सिविल न्यायालय में वाद कार्यवाही संस्थित है, तो उक्त सिविल वाद के अन्तिम निस्तारण से पूर्व न्यायालय हाजा द्वारा इस भूखण्ड के सम्बन्ध में किसी प्रकार का निर्णय अथवा निर्देश पारित करना न्यायोचित नहीं है। माननीय न्यायालय अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश देसूरी में लम्बित सिविलवाद प्रकरण संख्या 02/2024 में प्रदत निर्णय अनुसार ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकती है। उभयपक्षकारान् माननीय न्यायालय द्वारा उक्त वाद प्रकरण संख्या 02/2024 में के अन्तिम निस्तारण उपरान्त माफिक निर्णय पुनः निगरानी प्रस्तुत करने हेतु स्वतन्त्र रहेंगे।**

अतः हस्तगत निगरानी याचिका सिविल न्यायालय में वाद विचाराधीन होने से ख़ारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक **13.01.2026** को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे–इजलास सुनाया गया। प्रकरण से सम्बन्धित मूल पट्टा बुक एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत को पुनः लौटाई जाए।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर बाली (पाली)

(शैलेन्द्र सिंह)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर,
बाली

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
बाली (पाली)